लोबली v/s नारायण   408/2025

11/3/26 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी सं 3 के समन बाद तामील प्राप्त। अप्रार्थी सं. 3 को नियमानुसार तीन बार आवाजें लगाई गई, कोई उपस्थित नहीं आया। समय 5.10 PM हो चुका है, न्यायालय में अप्रार्थी सं. 3 को पुन: आवाज लगाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। अप्रार्थी सं. 3 के बाद पुकार उपस्थित नहीं आने से अप्रार्थी सं. 3 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने से एकपक्षीय बहस सुने जाने का निवेदन किया जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहराव करते हुए निवेदन किया कि ग्राम बोरिया की आराजी नं. 360/1 रकबा 1.0116 है. भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें प्रार्थी का 1/6 हक हिस्सा है। विपक्षीगण द्वारा वादग्रस्त खातेदारी भूमि में बिना विभाजन करवाये रास्ते की तरफ की भूमि व सम्पूर्ण भूमि पर चारदीवारी का निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया है तथा मकान का निर्माण करने पर आमादा हैं। वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि होने से प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का हक, अधिकार होता है, परन्तु विपक्षीगण रास्ते की ओर की भूमि पर अपना कब्जा कर निर्माण करने पर आमादा हैं जिसे रोका जाना आवश्यक है। मौके पर

— लगातार —

11/3/26
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा